

कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर (म0प्र0)

:: विविध-आदेश ::

क्रमांक / 07 / एक-11-01 / सां. / 2010

अशोकनगर दिनांक 20.04.2023

मैं पी0के0 शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर (म0प्र0) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 10(3) अनुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर के अवकाश काल में उनके न्यायालय में लंबित एवं प्रस्तुत होने वाले समस्त जमानत आवेदनपत्रों की सुनवाई एवं विधिवत् निराकरण किये जाने हेतु मुख्यालय पर पदस्थ निम्नानुसार उल्लेखित सारणी में अंकित न्यायिक अधिकारीगण को अधिकृत करता हूँ:-

क्र०	सोमवार	मंगलवार	बुधवार	गुरुवार	शुक्रवार	शनिवार
	न्यायालय का नाम	न्यायालय का नाम	न्यायालय का नाम	न्यायालय का नाम	न्यायालय का नाम	न्यायालय का नाम
1	प्रथम जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश	द्वितीय जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश	प्रथम जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर के न्यायालय के तृतीय अति० न्यायाधीश	प्रथम जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश	द्वितीय जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश	प्रथम जिला एवं अति० सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर के न्यायालय के तृतीय अति० न्यायाधीश

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

यह भी आदेशित किया जाता है कि:-

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर के अवकाश पर रहने की स्थिति में जिस अपराध के जमानत आवेदन पत्रों की सुनवाई संबंधित जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा की गयी हैं, ऐसे जमानत आवेदन पत्र उसी न्यायालय को सुनवाई हेतु स्वमेव ही अंतरित माने जावेंगे।
2. सारणी में अंकित न्यायिक अधिकारीगण में से किसी के भी अवकाश पत्र होने की दशा में उन्हें इस रोस्टर के द्वारा आवंटित जमानत आवेदन पत्र यथाक्रमानुसार अंकित न्यायिक अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई की जावेगी।

(पी0 के0 शर्मा)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अशोकनगर (म0प्र0)

अशोकनगर दिनांक 20.04.23

पृ० क्रमांक / 65 / एक / 11 / 01 / सां. / 2010
प्रतिलिपि:-

1. प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर।
2. द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर।
3. प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर के न्यायालय के तृतीय अति० न्यायाधीश।
4. प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर।
5. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कार्या० प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
6. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अशोकनगर (म0प्र0)